

09-01-18

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त धनंजय पाण्डे व गुड्डू उर्फ राकेश जेल से पेश, उनकी ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी चतुरसिंह उप0। उसने राजीनामा की संभावना व्यक्त की।

उभय पक्षों के मध्य संबंधों एवं प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुये प्रकरण में मध्यस्थता के माध्यम से उभय पक्षों के मध्य विवाद का पूर्ण रूप से निराकरण होना संभव प्रतीत होता है। अतः मध्यस्थता के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

उभयपक्षों से मध्यस्थता के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ श्री मौहम्मद अजहर, एएसजे गोहद का चुनाव किया है।

अतः मध्यस्थता सम्प्रेषण आदेश उभय पक्षों व उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर कर मध्यस्थता हेतु उपरोक्त मध्यस्थ को भेजा जाये। मध्यस्थ को निर्देशित किया जाता है कि वे मध्यस्थता का परिणाम सफल/असफल जो भी हो आगामी नियत दिनांक तक सूचित करें।

उभयपक्ष मध्यस्थता हेतु मय अधिवक्तागण के प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष आज दिनांक 09.01.18 को दिन में 01:00 बजे स्वतः उप0 रहें।

प्रकरण आगामी दिनांक 18.01.18 को मीडियेशन कार्यवाही के प्रतिवेदन की प्रस्तुती हेतु पेश हो।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class

Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

प्रकरण मे मीडियेशन रिपोर्ट सफलता की टीप सहित प्रस्तुत।

उभयपक्ष पूर्ववत।

फरियादी /आहत की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता एव अभियुक्तगण की पहचान उनके अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी/आहत संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित हैं। राजीनामा के संबंध में फरियादी का कथन लेख किया गया।

अभियुक्तगण पर भा0द0वि0 की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में

रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तत्सदीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 420 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा।

अभियुक्तगण के जेल वारंट पर नोट लगाया जावे कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया है यदि अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो अविलंब छोड़ा जावे।

प्रकरण में जप्त शुदा राशि फरियादी द्वारा अभियुक्तगण को दिए जाने में कोई आपत्ति न होना बताया है। अतः जब्तशुदा राशि अपील अवधि बाद अभियुक्त धनजय पाण्डे को वापस की जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो।

सही /—

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)